

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1414
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

बल्क ड्रग पार्क

1414. श्री अरुण सावः

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः

श्री रंजीतसिंह हिंदूराव नाईक निम्बालकरः

श्री देवजी पटेलः

श्री दिलीप शकीयाः

श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का देश भर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ छत्तीसगढ़ सहित किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और
- (ग) देश में विश्वस्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से थोक दवाओं के निर्माण की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (ग): बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन संबंधी सरकार की योजना का उद्देश्य देश में तीन (3) बल्क औषधि पार्कों की स्थापना को सुगम बनाना है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रुपये और योजना का कार्यकाल 2020-21 से 2024-25 तक है। केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा या सीआईएफ की परियोजना लागत का 70% (पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में 90%), जो भी कम हो, के अधीन है।

योजना के अंतर्गत, विभाग को 13 राज्यों अर्थात् (i) उत्तर प्रदेश (ii) तमिलनाडु (iii) तेलंगाना (iv) कर्नाटक (v) महाराष्ट्र (vi) गुजरात (vii) मध्य प्रदेश (viii) राजस्थान (ix) पंजाब (x) हरियाणा (xi) हिमाचल प्रदेश (xii) आंध्र प्रदेश और (xiii) ओडिशा से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अक्टूबर-नवंबर 2022 में मूल्यांकन के बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावों का चयन किया गया। सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

इन पार्कों में इस योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय साइली बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए सहायता का उद्देश्य एक समर्पित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करके इन बल्क औषधि पार्कों में विनिर्मित होने वाली बल्क दवाओं की विनिर्माण लागत को कम करना है। इसके अतिरिक्त, इन राज्य सरकारों ने इन पार्कों में इकाइयों के लिए कुछ प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया है। इस प्रकार, राज्यों द्वारा अवसंरचना सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन से इन पार्कों में बल्क दवाओं की विनिर्माण लागत में कमी आएगी।
